



कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पत्रांक 2614 / 12-1 (1) दिनांक, देहरादून, 08 जून, 2015

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

विषय: जनपद देहरादून के अन्तर्गत लखस्यार-लुधेरा-क्यारी-कचटा हल्का वाहन मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.4175 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

संदर्भ: FP/UK/ ROAD / 10814 / 2015

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता ने अपने पत्रांक 3306/12-1 दिनांक 06-05-2015 के द्वारा विषयांकित प्रस्ताव ऑन लाईन प्रेषित किया गया है। प्रस्तावित मार्ग के समरेखण में वांछित वन भूमि निम्न प्रकार है:-

प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	वांछित भूमि की विधिक स्थिति	लम्बाई चौड़ाई (मीटर)	क्षेत्रफल है0	बाधित वृक्ष
चकराता वन प्रभाग, चकराता	रीवर रेंज	सिविल भूमि ग्राम क्यारी	2025 X 7	1.417	52
		योग वन भूमि		0.078	52
	नाप भूमि	ग्राम क्यारी	1975 X 7	1.383	184
		कुल योग	4000		236

प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता ने सूचित किया है कि वन भूमि में गूजर रहे 2025मीटर लम्बाई में सिविल वन भूमि जो राजस्व विभाग के स्वामित्व में है, के समरेखण में 52 वृक्ष बाधित हैं तथा नाप भूमि में 184 वृक्ष बाधित हैं। उक्त मार्ग में वांछित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य हेतु जिलाधिकारी, देहरादून के द्वारा वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में संस्तुति की गई है।

प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता की संस्तुति के पश्चात निर्धारित संलग्न प्रपत्र- III में संस्तुति सहित प्रस्ताव ऑन लाईन प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय

(आर0क0मिश्र)

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

संख्या - 2614 / 12-1(1)

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग, चकराता को उनके पत्रांक 3306 / 12-1 दिनांक 6-5-2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(आर0क0मिश्र)

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

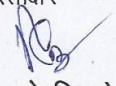
भाग-III

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है ।)

कार्य का नाम जनपद देहरादून के अन्तर्गत लखस्यार-लुधेरा-क्यारी-कचटा हल्का वाहन मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.4175 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

क्रमांक 14	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
क्रमांक 15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझाव से सहमत हैं।	सहमत हैं ।
क्रमांक 16	प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें ।	संस्तुति की जाती है।

दिनांक - जून 2015
स्थान - देहरादून ।

हस्ताक्षर

नाम - (आर0के0मिश्र)
वन संरक्षक,
यमुना वृक्ष, उत्तराखण्ड, देहरादून ।